

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
केंद्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 27 /2017-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2017

सा.का.नि. (अ) केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवाकर (छठा संशोधन) नियम, 2017 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय यह नियम उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2. केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अधिसूचना में मूल नियम कहा गया है) में,--

(i) नियम 138 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

**“138. माल का संचलन और ई-वे बिल के सृजन से पूर्व प्रस्तुत की जाने वाली सूचना--**(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो माल के पारेषण, जिसका मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है, का--

(i) किसी पूर्ति के संबंध में संचलन कारित करता है ;

(ii) पूर्ति से भिन्न किसी कारण से संचलन कारित करता है ; या

(iii) किसी गैर-रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से आवक पूर्ति के कारण संचलन कारित करता है,

ऐसे संचलन के प्रारंभ होने से पूर्व उक्त माल के संबंध में सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी - 01 के भाग क में सूचना प्रस्तुत करेगा ।”

(2) जहां माल का परिवहन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पारेषित के रूप में या पारेषिती के रूप में पूर्ति के प्राप्तिकर्ता के रूप में किया जाता है, चाहे स्वयं के परिवहन में या भाटक पर लिए गए या रेल द्वारा या वायुयान द्वारा या किसी जलयान द्वारा, तो उक्त व्यक्ति या प्राप्तिकर्ता प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी - 01 के भाग ख में सूचना प्रस्तुत करने के पश्चात् सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप में प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी - 01 में ई-वे बिल का सृजन कर सकेगा ।

(3) जहां उपनियम (2) के अधीन ई-वे बिल सृजित नहीं किया जाता है और माल को सड़क द्वारा परिवहन के लिए परिवहनकर्ता को सौंप दिया जाता है तो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति परिवहनकर्ता के संबंध में सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी - 01 के भाग ख में सूचना प्रस्तुत करेगा और ई-वे बिल को उक्त पोर्टल पर परिवहनकर्ता द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी - 01 के भाग क में प्रस्तुत सूचना के आधार पर सृजित किया जाएगा :

परंतु यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या परिवहनकर्ता अपने विकल्प पर ई-बिल का तब भी सृजन और वहन कर सकेगा जब पारेषण का मूल्य पचास हजार रुपए से कम है :

परंतु यह और कि जब संचलन किसी गैर-रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा या तो अपने स्वयं के या किसी भाटक पर वाहन या किसी परिवहनकर्ता के माध्यम से कारित किया जाता है तो वह या परिवहनकर्ता अपने स्वयं के विकल्प पर इस नियम में विनिर्दिष्ट रीति में सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी - 01 में ई-बिल का सृजन कर सकेगा :

परंतु यह भी कि जहां माल का परिवहन राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में पारेषक के कारबार के स्थान से परिवहनकर्ता के कारबार के स्थान को अगो परिवहन के लिए दस किलोमीटर से कम दूरी के लिए किया जाता है तो पूर्तिकार या परिवहनकर्ता प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी - 01 के भाग ख में वाहन के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं करेंगे ।

स्पष्टीकरण 1. इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए जब माल की पूर्ति किसी गैर-रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता को की जाती है जो रजिस्ट्रीकृत है तो संचलन को ऐसे प्राप्तिकर्ता द्वारा कारित किया गया कहा जाएगा यदि माल का संचलन प्रारंभ होने के समय प्राप्तिकर्ता ज्ञात है ।

स्पष्टीकरण 2. प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी - 01 के भाग क में सूचना को पूर्ति के पारेषक या प्राप्तिकर्ता द्वारा पारेषिती के रूप में वहां प्रस्तुत किया जाएगा, जहां माल का परिवहन रेल या वायुयान या जलयान द्वारा किया गया है ।

(4) सामान्य पोर्टल पर ई-वे बिल के सृजन पर सामान्य पोर्टल पर पूर्तिकार, प्राप्तिकर्ता और परिवहनकर्ता को एक विशिष्ट ई-वे बिल संख्या (ईबीएन) उपलब्ध कराया जाएगा ।

(5) अंतरण के अनुक्रम में एक वाहन से दूसरे वाहन को मालों का अंतरण करने वाला परिवहनकर्ता ऐसे अंतरण से पूर्व और माल के तथा संचलन से पूर्व सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी - 01 में ई-वे बिल में वाहन के ब्यौरों को अद्यतन करेगा :

परंतु जहां मालों का परिवहन राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में परिवहनकर्ता के कारबार के स्थान से अंतिमतः पारेषिती के कारबार के स्थान को दस किलोमीटर से कम दूरी के लिए किया जाता है, तो वाहन के ब्यौरों को ई-वे बिल में अद्यतन नहीं किया जाएगा ।

(6) उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसरण में ई-वे बिल के सृजन के पश्चात्, जहां बहुल पारेषणों को एक वाहन में परिवहन करना आशयित है तो परिवहनकर्ता ऐसे प्रत्येक पारेषण के संबंध में सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सृजित ई-वे बिलों की क्रम संख्या को उपदर्शित कर सकेगा और माल के संचलन से पूर्व उक्त सामान्य पोर्टल पर उसके द्वारा प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी - 02 में एक समेकित ई-वे बिल का सृजन किया जा सकेगा ।

(7) जहां पारेषक या पारेषिती ने उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसार प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी - 01 का सृजन नहीं किया है और वाहन में ले जाए जाने वाले माल का मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है तो परिवहनकर्ता, यथास्थिति, पूर्ति के बीजक या बिल या परिदान चालान के आधार पर प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी - 01 का सृजन करेगा और माल के संचलन से पूर्व सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी - 02 में समेकित ई-वे बिल का भी सृजन कर सकेगा ।

(8) प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी - 01 के भाग क में प्रस्तुत सूचना को सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकर्ता को उपलब्ध कराया जाएगा जो उसका उपयोग प्ररूप जीएसटीआर - 01 में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए कर सकेगा :

परंतु जहां सूचना को गैर-रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार द्वारा प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी - 01 में प्रस्तुत किया गया है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित किया जाएगा, यदि मोबाइल नंबर या ई-मेल उपलब्ध नहीं है ।

(9) जहां इस नियम के अधीन ई-वे बिल सृजित किया गया है किंतु माल का या तो परिवहन नहीं किया गया है या परिवहन प्रस्तुत ई-वे बिल के ब्यौरों के अनुसार नहीं किया गया है तो ई-वे बिल को सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से ई-वे बिल के सृजन के चौबीस घंटों के भीतर रद्द किया जा सकेगा :

परंतु किसी ई-वे बिल को रद्द नहीं किया जा सकेगा यदि उसका नियम 138ख के उपबंधों के अनुसार अंतरण में सत्यापन कर दिया गया है ।

(10) इस नियम के अधीन सृजित ई-वे बिल या समेकित ई-वे बिल सुसंगत तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित अवधि के लिए स्तंभ (2) में यथावर्णित माल द्वारा परिवहन की जाने वाली दूरी के लिए वैध होगा :

#### सारणी

क्रम सं.	दूरी	वैधता की अवधि
(1)	(2)	(3)
1.	100 किलोमीटर तक	एक दिन
2.	प्रत्येक 100 किलोमीटर या तत्पश्चात् उसके भाग के	एक अतिरिक्त दिन

लिए	
-----	--

परंतु आयुक्त अधिसूचना द्वारा किसी ई-वे बिल की वैधता का उसमें विनिर्दिष्ट माल के कतिपय प्रवर्गों के लिए विस्तार कर सकेगा :

परंतु यह और कि आपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों के अधीन, जहां माल का परिवहन ई-वे बिल की वैधता अवधि के भीतर नहीं किया जा सकता है, तो परिवहनकर्ता प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी - 01 के भाग ख में ब्यौरों को अद्यतन करने के पश्चात् दूसरा ई-वे बिल सृजित कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण-इस नियम के प्रयोजनों के लिए "सुसंगत तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत होगी, जिसको ई-वे बिल का सृजन किया गया है और वैधता की अवधि की गणना उस समय से की जाएगी जिसको ई-वे बिल का सृजन किया गया है और प्रत्येक दिन की गणना चौबीस घंटों के रूप में की जाएगी ।

(11) उपनियम (1) के अधीन सृजित ई-वे बिल के ब्यौरों को पूर्तिकर्ता को उपलब्ध कराया जाएगा यदि वह सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत है, वह अपनी ई-वे बिल के अधीन आने वाले पारेषण की स्वीकृति या अस्वीकृति की संसूचना देगा ।

(12) जहां उपनियम (11) में निर्दिष्ट प्राप्तिकर्ता सामान्य पोर्टल पर ब्यौरों को उसे उपलब्ध कराने के बहत्तर घंटों के भीतर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति से संसूचित नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि उसने उक्त ब्यौरों को स्वीकार कर लिया है ।

(13) इस नियम या किसी राज्य के माल और सेवाकर नियमों के नियम 138 के अधीन सृजित ई-वे बिल प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र में वैध होगा ।

(14) इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी ई-वे बिल को सृजित करने की अपेक्षा नहीं होगी-

(क) जहां परिवहन किए जा रहे माल को उपाबंध में विनिर्दिष्ट किया गया है ;

(ख) जहां माल का परिवहन गैर-मोटरीकृत वाहन द्वारा किया जा रहा है ;

(ग) जहां माल का परिवहन किसी पत्तन, विमानपत्तन, एयर कार्गो परिसर और भू-सीमाशुल्क केंद्र से किसी ई-लैंड कंटेनर डिपो या किसी कंटेनर फ्रेट स्टेशन को सीमाशुल्क निकासी के लिए किया जा रहा है ; और

(घ) माल का संचलन ऐसे क्षेत्र में किया जा रहा है, जो संबंधित राज्य के माल और सेवाकर नियमों के नियम 138 के उपनियम (12) के खंड (घ) के अधीन अधिसूचित है ।

स्पष्टीकरण-ई-वे बिल के सृजन और रद्द करने की सुविधा को एसएमएस के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जा सकेगा ।

उपाबंध

[ (देखें नियम 138 (14) ]

क्रम सं.	अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	0101	जीवित अश्व, गधे, खच्चर और हिन्नी
2.	0102	जीवित गोकुलीय प्राणी
3.	0103	जीवित सुअर
4.	0104	जीवित भेड़ और बकरें
5.	0105	जीवित कुक्कुट, अर्थात् गैलस डोमोस्टिकस जाति के मुर्गे, बतख, हंस, टर्की और गिनि मुर्गे
6.	0106	अन्य जीवित प्राणी, जो स्तनपायी, पक्षी, कीट
7.	0201	गोकुलीय प्राणियों का मांस, ताजा और द्रुतशीतित
8.	0202	गोकुलीय प्राणी का मांस, हिमशीतित (प्रशीतित से भिन्न और जो इकाईयों आधानों में रखा गया है)
9.	0203	सुअर का मांस, ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित (प्रशीतित से भिन्न और जो इकाईयों आधानों में रखा गया है)
10.	0204	भेड़ या बकरे का मांस, ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित (प्रशीतित से भिन्न और जो इकाईयों आधानों में रखा गया है)
11.	0205	अश्व, गधे, खच्चर या हिन्नी का मांस, ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित (प्रशीतित से भिन्न और जो इकाईयों आधानों में रखा गया है)
12.	0206	गोकुलीय प्राणियों, सुअर, भेड़, बकरे, अश्व, गधे, खच्चर या हिन्नी का खाद्य अवशिष्ट, ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित (प्रशीतित से भिन्न और जो इकाईयों आधानों में रखा गया है)

13.	0207	शीर्ष सं. 0105 के कुक्कुट का मांस और खाद्य अवशिष्ट, ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित (प्रशीतित से भिन्न और जो इकाईयों आधानों में रखा गया है)
14.	0208	अन्य मांस और खाद्य अपशिष्ट, ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित (प्रशीतित से भिन्न और जो इकाईयों आधानों में रखा गया है)
15.	0209	चर्बी रहित मांस विहीन सुअर वसा और कुक्कुट वसा, अपरिष्कृत या

		अन्यथा निष्कर्षित, ताजा, द्रुतशीतित, हिमशीतित (प्रशीतित से भिन्न और जो इकाईयों आधानों में रखा गया है)
16.	0209	चर्बी रहित मांस विहीन सुअर वसा और कुक्कुट वसा, अपरिष्कृत या अन्यथा निष्कर्षित, लवणित, लवण जल में रखा, शुष्कित या धूमित [आधान इकाई में रखे गए से भिन्न]
17.	0210	मांस और खाद्य मांस अवशिष्ट, लवणित, लवण जल में रखा, शुष्कित या धूमित ; मांस या मांस अवशिष्ट का खाद्य आटा और अवचूर्ण, आधान इकाई में रखे गए से भिन्न
18.	3	मछली बीज, झिंगा/झिंगी बीज प्रसंस्कृत, संसाधित या हिमशीतित स्थिति में है या नहीं [अध्याय 3 के अधीन आने वाले माल और आकृष्ट 2.5 प्रतिशत से भिन्न]

19.	0301	जीवित मछली
20.	0302	मछली, हिमशीतित, जिसके अंतर्गत शीर्ष सं० 0304 के मछली कतले और मछली मांस नहीं है
21.	0304	मछली के कतले और अन्य मछली का मांस (चाहे कीमाकृत है या नहीं), ताजे या हिमशीतित
22.	0306	क्रेस्टेशिया, चाहे कवच युक्त है या नहीं, कवचयुक्त क्रेस्टेशिया जो भापन द्वारा या जल में उबालकर पकाई गई है, ताजा या हिमशीतित
23.	0307	मोलस्क, चाहे कवच युक्त है या नहीं, हिमशीतित, क्रेस्टेशिया और मोलस्क से भिन्न जलीय अकशेरुकी जीवित ताजे और हिमशीतित
24.	0308	क्रेस्टेशिया और मोलस्क से भिन्न, जलीय अकशेरुकी, जीवित, ताजा या हिमशीतित
25.	0401	ताजे दूध और पाश्चराइज्ड दूध, जिसमें पृथक किया दूध, दूध और क्रीम, जो सांद्रित नहीं है या जिसमें मिलाई गई चीनी या अन्य मधुरण द्रव्य नहीं है, अल्ट्रा उच्च तापक्रम दूध (यू.एच.टी) को छोड़कर
26.	0403	दही, लस्सी, छाछ
27.	0406	चना या पनीर जो इकाई आधान में रखा हुआ है, से भिन्न और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है
28.	0407	पक्षियों के अंडे, ताजे, कवच युक्त, परिरक्षित या पकाए हुए
29.	0409	प्राकृतिक मधु, जो इकाई आधान में रखा हुआ है, से भिन्न है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है
30.	0501	मानव केश, अक्रमिक चाहे धुले या अभिमार्जित या मानव केश के अपशिष्ट
31.	0506	सभी माल जैसे हड्डिया और सींगकरोड जो अकर्मित, निर्वसीकृत केवल निर्मित (किंतु आकार में आकर्तित), अम्लोपचारित या अजिलेटीवीकृत है, इन उत्पादों का चूर्ण और अपशिष्ट
32.	050790	सभी माल जैसे खुर अवचूर्ण सींग अवचूर्ण खुर अवचूर्ण नख और चोंच ऐंटलर्स इत्यादि
33.	0511	शुक्र जिसमें शीतित शुक्र हैं

34.	6	जीवित वृक्ष और अन्य पौधे शल्यकंध और जड़े और वैसी ही चीजें ; कर्तित पुष्प और अलंकृत प्रण समूह
35.	0701	आलू ताजे या द्रुतशीतित
36.	0702	टमाटर ताजे या द्रुतशीतित
37.	0703	प्याज, शैलक, लहसुन, लीक और अन्य लहसुनी वनस्पतियां ताजी या द्रुतशीतित
38.	0704	बंदगोभी, फूलगोभी, कोहोलर्वी केल और उसी प्रकार के खाद्य ब्रेसिका, ताजे या द्रुतशीतित
39.	0705	लेट्यूस (लैक्टूकासैटाइवा) और कासनी (साइकोरियम सभी जातियां), ताजे या द्रुतशीतित
40.	0706	गाजर शल्जम सलाद चुकंदर सैलेरिएक मूली और वैसी ही खाद्य जड़े ताजी या द्रुतशीतित
41.	0707	खीरा आदि या घेरकिन ताजे या द्रुतशीतित
42.	0708	कवच युक्त या कवच रहित फलीदार वनस्पतियां ताजी या द्रुतशीतित
43.	0709	अन्य वनस्पतियां ताजी या द्रुतशीतित
44.	0712	शुष्कित वनस्पतियां जो साबुत, कर्तित, कतरी गई, टूटी या चूर्णित है किंतु और निर्मित नहीं है
45.	0713	शुष्कित फलीदार वनस्पति, कवचयुक्त, चाहे त्वचारहित या विपाटित हैं या नहीं
46.	0714	मेनिओक, अरारूट, संलेप, जेरुसलम पाथीचक, शकरकंद और वैसी ही जड़ें और कंद, जिनमें स्टार्च और इनूलिन की मात्रा अधिक है ताजी या द्रुतशीतित, साबूदाने का पिथ
47.	0801	नारियल ताजा या शुष्क चाहे कवचयुक्त या छिलकारहित है या नहीं
48.	0801	ब्राजील नट ताजा या शुष्क चाहे कवचयुक्त या छिलकारहित है या नहीं
49.	0802	अन्य नट, अन्य नट ताजे जैसे बादाम हजैल नटस या फिलबर्ट (कारिलस सभी जातियां) अखरोट, चैस्टनट (कैस्टोनिया सभी जातियां) पिस्ता, मैकाडेमिया नट्स, कोला नट्स (कोला सभी जातियां) अरेका नट्स, चाहे कवच युक्त हो या छिलकारहित
50.	0803	केले जिसके अंतर्गत कदली भी है ताजे या शुष्कित
51.	0804	छुहार, अंजीर, अनानास, एवोकेडोज, अमरूद, आम और मैंगोस्टीन ताजे
52.	0805	नींबू फल जैसे नारंगिया मैडारिन (जिसके अंतर्गत टेन्जेरीन और सटसुमस है) क्लेमेन्टाइन, बिलकिंग और अन्य वैसे ही निंबुकल, अंगूर जिसमें पोमीलोस नींबू फल साइट्रस लिमोजम और लाइम (साइकस औरंटीफोलिया, साइट्रस लाटीफोलिया) ताजा
53.	0806	अंगूर, शुष्कित, और किशमिश
54.	0807	खरबूजों (तरबूज सहित) और पापास (ताजे)
55.	0808	सेब, नाशपाती और क्वींस ; ताजे
56.	0809	खुबानी, चेरी, आडू (जिसके अंतर्गत शफतालू है) आलू बुखारा और स्लो, ताजे ।
57.	0810	अन्य फल ताजे जैसे स्ट्राबेरी, रसभरी, ब्लैकबेरी शहतूत और लोगनबेरी, काली सफेद लाल किशमिश तथा गुजबेरी, करोंदा,

		बिलबेरी, वैक्सीनियम वंश के अन्य फल, कीवी फल, ड्यूटिमंस, तेइफल, अनार, इमली ताजा । सपोटा (चीकू) शरीफा (अटा) बोर लाची ताजे
58.	0814	नींबू फल या खरबूजे (तरबूजे सहित) के छिलके ; ताजे
59.	9	बीजगुण का सभी माल
60.	0901	काफी, बीज अभर्जित
61.	0902	[चाय के अप्रसंस्कृत हरे पत्तों की चाय]
62.	0909	सौंफ, बेडियन, बड़ी सौंफ, धनिया, सफेद जीरा या काला जीरा के बीज ; जूनिपर बेरी [बीज क्वालिटी के]
63.	0910 11 10	ताजी अदरक प्रसंस्कृत रूप से भिन्न
64.	09103010	ताजी हल्दी प्रसंस्कृत रूप से भिन्न
65.	1001	गेहूं और मेसलिन, जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है से भिन्न
66.	1002	राई, जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है से भिन्न
67.	1003	जौ, जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है से भिन्न
68.	1004	जई, [जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है से भिन्न]
69.	1005	मक्का (कार्न), [जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है, से भिन्न]
70.	1006	चावल, [जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है, से भिन्न]
71.	1007	ज्वारादि का दाना, जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है
72.	1008	कुट्टू, मिलेट और कैनेरी बीज ; अन्य धान्य, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, [जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है, से भिन्न]
73.	1101	गेहूं या मेसलिन आटा, [जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है, से भिन्न]
74.	1102	गेहूं या मेसलिन आटा से भिन्न धान्य आटा, उदाहरणार्थ मक्का (कार्न) आटा, राई आटा, आदि, [जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है, से भिन्न]
75.	1103	धान्य दलिया, अवचूर्ण और गुटिका, जिसके अंतर्गत सूजी और दलिया है, [जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है, से भिन्न]
76.	1104	धान्य दाना तुष निकाले गए
77.	1105	आलू का आटा, [जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है, से भिन्न]
78.	1106	शीर्ष संख्या 713 के शुष्कित फलीदार वनस्पतियों (दालों) का [1106 10 10 के ग्वार आटे और 1106 10 90 के ग्वार गम परिष्कृत स्पलिट से भिन्न] और शीर्ष 0714 के साबुदाने का या जड़ों या कंदों

		का अथवा अध्याय 8 के उत्पादों जैसे टमारिड, सिंघाड़ा, आमचूर आदि का आटा, [ जिसे इकाई आधानों में रखा गया है, जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है, से भिन्न ]
79.	12	बीज क्वालिटी का सभी माल
80.	1201	बीज क्वालिटी की सोयाबीन, चाहे टूटी हुई है या नहीं
81.	1202	मुंगफली, जो भर्जित या अन्यथा पकाई गई है चाहे क्वचरहित या टूटी हुई है या नहीं
82.	1204	अलसी, चाहे टूटी हुई है या नहीं, बीज क्वालिटी की
83.	1205	तोरिया या कोलजा बीज, चाहे टूटे हुए है या नहीं, बीज क्वालिटी की
84.	1206	बीज क्वालिटी की सूर्यमुखी के बीज, चाहे टूटे हुए हैं या नहीं
85.	1207	अन्य तिलहन और तेलोत्पादक फल (उदाहरणार्थ ताड़फल और गिरी, बिनोले, एरंड तेल बीज, तिल बीज, सरसों के बीज, कुसंभम (कार्थामस टिकटोरियस) बीज, खरबूजे के बीज, खसखस बीज, एजामस बीस, आम गुठली, नाइजेर बीज, कोकम), चाहे टूटे हुए हैं या नहीं
86.	1209	इस प्रकार के बीज फल और बीजाणु जो बोने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं ।
87.	1210	हाप कोन ताजे
88.	1211	इस प्रकार के पौधे और पौधों के भाग (जिसके अंतर्गत बीज और फल हैं), जिनका उपयोग प्रथमतः सुगंध सामग्री में, या फार्मेसी में या कीटनाशी, फफूंदी नाशी या वैसे ही प्रयोजनों के लिए किया जाता है, हिमशीतित या शुष्कित
89.	1212	लोकस्ट फलियां, समुद्री शैवाल और अन्य शैवाल, चुकन्दर और गन्ना, ताजे या द्रुतशीतित
90.	1213	धान्य पुआल और भूरी अनिर्मित चाहे काटी हुई दलित ; दावित या गुटिका के रूप में है या नहीं
91.	1214	स्वीडन का शलजम मेगोल्ड, चार की जड़ें, सूखी खास रिजका (अल्फाफा) क्लोबर सेनफोइन, हरा चारा काले ल्यूपिन वैचिज और वैसे ही हरा चारा उत्पाद चाहे वह गुटिका के रूप में है या नहीं ।
92.	1301	लाख या शल्क लाख
93.	1404 90 40	बीड़ी आवेष्टक पत्तियां (तेंदू)
94.	1701 या 1702	गन्ना, गुड़ और पामीरा गुड़ सहित सभी प्रकार के गुड़ और पामीरा चीनी
95.	1904	धान्य सामान्यतः मुदी के रूप में जाने वाला फ्लेटेंड या चूड़ा धावन जो सामान्यतः चूरा के रूप में जमा जाता है । पार्चड चावल सामान्यतः खोई के रूप में जाने वाला, पार्चड धान या चीनी या गुड़ लेपित चावल सामान्यतः मुरकी के रूप में जाने वाला ।
96.	1905	पापड़
97.	1905	रोटी (ब्रांडेड या अन्यथा) पिज्जा ब्रेड को छोड़कर
98.	2201	जल[एइरोरेटड खनिज, शुद्ध, वातित, चिकित्सीय आयनिक बेटरी, डी मिनरलाईज्ड और सीलबंद आधान में बेचे जाने वाला जल]
99.	2201	नान एल्कोहलिक टोडूडी, नीरा जिसमें डेट और पाम नीरा है

100	22029090	टेंडर नारियल जल जो यूनिट आधान में रखा से भिन्न है और रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम रखता है
101	2302, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309	जलीय धारा जिसमें झींगा चारा और प्रान चारा, मुर्गी चारा और पशु चारा जिसमें घास है और स्ट्रा, दाल के एंड चुक सप्लीमेंट, सांद्र और एडीटिव, गेंहू ब्रान और बिना तेल का केक
102	2501	लवण सभी प्रकार

103	2835	डायलिसिसम फॉस्फेट (डीसीपी) का प्राइज फीड ग्रेड है जो आईएस स्पेसिफिकेशन नं .54770: 2002
104	3002	मानव रक्त और उसके घटक
105	3006	सभी प्रकार के गर्भनिरोधक
106	3101	सभी माल और कार्बनिक खाद [इकाई कंटेनरों में लगाए जाने के अलावा और एक पंजीकृत ब्रांड नाम देना]
107	3304	काजल [काजल पेन्सिल स्टिक्स के अलावा], कुमकुम, बिंदी सिंदूर, अलता
108	3825	नगरपालिका अपशिष्ट, सीवेज कीचड़, नैदानिक अपशिष्ट
109	3926	प्लास्टिक की चूड़ियाँ
110	4014	कंडोम और गर्भनिरोधक
111	4401	लकड़ी या ईंधन की लकड़ी
112	4402	लकड़ी का कोयला (शेल या अखरोट का कोयला सहित), चाहे ढका हुआ हो या नहीं
113	4802 / 4907	न्यायिक, गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर, सरकार द्वारा अधिकृत सरकारी खजाने या विक्रेताओं द्वारा बेचे जाने वाले न्यायालय शुल्क टिकट
114	4817 / 4907	डाक टिकट, जैसे लिफाफा, पोस्ट कार्ड आदि सरकार द्वारा बेची गई
115	48 / 4907	रुपया नोट भारतीय रिज़र्व बैंक को बेचा गया है
116	4907	चेक, खुला या पुस्तक के रूप में
117	4901	ब्रेल पुस्तकों सहित मुद्रित पुस्तकें
118	4902	अखबार, पत्रिकाओं और पत्रिकाओं, चाहे वह सचित्र या विज्ञापन सामग्री युक्त हों या नहीं
119	4903	बच्चों की तस्वीर, किताबें ड्राइंग या रंग
120	4905	नक्शा और जल-विज्ञान या सभी तरह के समान चार्ट, जिनमें एटलाज़, दीवार के नक्शे, स्थलाकृतिक योजनाएं और ग्लोब शामिल हैं, मुद्रित
121	5001	रेशमकीट बिछाने, कोकून
122	5002	कच्चे रेशम
123	5003	सिल्क अपशिष्ट
124	5101	ऊन, कार्डड या कॉम्बेड नहीं
125	5102	हल्के या मोटे जानवरों के बाल, कार्डड या कम्बेड नहीं होते हैं
126	5103	ऊन या अपरिवर्तनीय पशु बाल
127	52	गांधी टोपी
128	52	खादी यार्न
129	5303	जूट तंतुओं, कच्चे या संसाधित होते हैं लेकिन घूमती नहीं
130	5305	नारियल, कांयर फाइबर
131	63	भारतीय राष्ट्रीय ध्वज

132	6703	मानव बाल, कपड़े पहने हुए, पतले, प्रक्षालित या अन्यथा काम किया
133	6912 00 40	मिट्टी के बर्तन और मिट्टी दीपक
134	7018	कांच की चूड़ियां (बहुमूल्य धातुओं से बनी उनको छोड़कर)
135	8201	हाथ से संचालित या पशु संचालित कृषि करता है, अर्थात् हाथों के उपकरण, जैसे हुकुम, फावड़े, मैटैक्स, चुनता है, गैती, फावड़े और राकियां; कुल्हाड़ियों, बिल हुक और इसी तरह के हीविंग टूल्स; किसी प्रकार के सेकनेटर्स और प्रिंटर; स्किथेस, सिकल, घास का चाकू, हेज कैंची, लकड़ी की पट्टियां और कृषि, बागवानी या वानिकी में प्रयुक्त एक तरह के अन्य उपकरण।
136	8445	अंबर चरखा
137	8446	हथकरघा [बुनाई मशीनरी]
138	8802 60 00	अंतरिक्ष यान (उपग्रहों सहित) और उपोर्बिटल और अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण वाहन
139	8803	शीर्ष 8801 के माल के सामान
140	9021	हियरिंग एड्स
141	92	स्वदेशी हस्तनिर्मित संगीत वाद्ययंत्र
142	9603	अंकुर और फुलबहरिजधु से बना मुघता
143	9609	स्लेट पेंसिल और चाक की छड़ें
144	9610 00 00	स्लेट
145	9803	यात्री सामान
146	किसी भी अध्याय	पूजा सामग्री, - (I) रुद्राक्ष, रूद्राक्ष माला, तुलसी कनिष्ठ मलाला, पंचगव्य (चूर्ण, देसी घी, दूध और दही का मिश्रण); (ii) पवित्र धागा (आमतौर पर यगयोपवीत के रूप में जाना जाता है); (iii) लकड़ी के खादौ; (iv) पंचामृत, (v) धार्मिक संस्थानों द्वारा बेची गई विभूति, (vi) बिना ब्रांडेड शहद (vii) दीया के लिए बत्ती (ज) रोली (ix) कालावा (रक्षा सूत्र) (x) चन्दन टीका
147		घरेलू और गैर घरेलू छूट वाले श्रेणी (एनडीईसी) ग्राहकों को आपूर्ति के लिए तरलीकृत पेट्रोलियम गैस
148		पीडीएस के तहत बेचा गया मिट्टी के तेल
149		डाक विभाग द्वारा प्रेषित डाक सामान
150		प्राकृतिक या सुसंस्कृत मोती और कीमती या अर्ध कीमती पत्थरों; कीमती धातुओं के साथ कीमती धातुओं और धातु (अध्याय 71)
151		आभूषण, सुनार और चांदी के सामान माल और अन्य लेख (अध्याय 71)
152		मुद्रा
153		प्रयोग किया गया व्यक्तिगत और घरेलू प्रभाव
154		कोरल, बिना काम (0508) और काम किया कोरल (9601)

(ii) मूल नियम में, नियम 138 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

**“138क प्रवहण के भारसाधक व्यक्ति द्वारा वहन किए जाने वाले दस्तावेज और युक्तियां – (1) प्रवहण का भारसाधक व्यक्ति निम्नलिखित वहन करेगा –**

(क) यथास्थिति, बीजक या प्रदाय का बिल या परिदान चालान ; और

(ख) रेडियो आवृत्ति पहचान युक्ति, जो प्रवहण पर ऐसी रीति में, जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाए, जड़ी हुई है, की या तो वास्तविक रूप से या प्रतिचित्रित ई-वे बिल या ई-वे बिल संख्या की प्रति ।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति **प्ररूप जीएसटी आईएनबी-1** में उसके द्वारा जारी किए गए कर बीजक को उक्त पोर्टल पर अपलोड करके सामान्य पोर्टल से बीजक निर्देश संख्या अभिप्राप्त कर सकेगा और उसे कर बीजक के बदले में उचित अधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए प्रस्तुत कर सकेगा तथा ऐसी संख्या अपलोड करने की तारीख से तीस दिन की अवधि के लिए विधिमान्य होगा ।

(3) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपनियम (2) के अधीन बीजक अपलोड करता है, वहां **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01** के भाग ‘क’ में सूचना **प्ररूप जीएसटी आईएनबी-1** में दी गई सूचना के आधार पर सामान्य पोर्टल द्वारा संकलित की जाएगी ।

(4) आयुक्त, अधिसूचना द्वारा परिवाहकों के वर्ग से विशिष्ट रेडियो आवृत्ति पहचान युक्ति की अपेक्षा कर सकेगा और प्रवहण पर युक्त उक्त जड़वा सकेगा तथा माल के संचलन से पूर्व परिवहन पर रेडियो आवृत्ति पहचान युक्ति ई-वे बिल का प्रतिचित्रण कर सकेगा ।

(5) उपनियम (1) के खंड (ख) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां परिस्थितियों में ऐसी अपेक्षा की जाती है, वहां आयुक्त, अधिसूचना द्वारा, प्रवहण भारसाधक से ई-वे बिल के बजाय, निम्नलिखित दस्तावेजों को वहन करने की अपेक्षा कर सकेगा –

(क) कर बीजक या प्रदाय का बिल या प्रवेश पत्र ; या

(ख) जहां माल प्रदाय के माध्यम से भिन्न कारणों के लिए परिवहन किया जाता है, वहां परिदान चालान ।

**“138ख दस्तावेजों और प्रवहणों का सत्यापन –**

(1) आयुक्त या इस निमित्त या उसके द्वारा सशक्त अधिकारी सभी अन्तर्राज्यीय और राज्य के भीतर माल के संचलन के लिए वास्तविक रूप में ई-वे बिल या ई-वे बिल संख्या का सत्यापन करने के लिए किसी प्रवहण को बीच में रोकने के लिए समुचित अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा ।

(2) आयुक्त, उन स्थानों पर, जहां माल के संचलन का सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, रेडियो आवृत्ति पहचान प्रवाचक संस्थापित कराएगा और ज्ञानों के संचलन का सत्यापन ऐसे युक्ति प्रवाचकों के माध्यम से वहां किया जाएगा, जहां ई-वे बिल उक्त युक्ति के साथ प्रतिचित्रित किया गया है ।

(3) प्रवहणों का वास्तविक सत्यापन आयुक्त द्वारा यथा प्राधिकृत उचित अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा सशक्त अधिकारी द्वारा किया जाएगा :

परंतु कर अपवंचन पर विनिर्दिष्ट सूचना के प्राप्त हो जाने पर, विनिर्दिष्ट प्रवहण का वास्तविक सत्यापन आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का आवश्यक अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् किसी अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है ।

**“138घ माल का निरीक्षण और सत्यापन –**

- (1) अभिवहण में माल के प्रत्येक निरीक्षण की सारांश रिपोर्ट निरीक्षण के चौबीस घंटे के भीतर **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-03** के **भाग ‘क’** में उचित अधिकारी द्वारा ऑनलाइन अभिलिखित की जाएगी और **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-03** के **भाग ‘ख’** में अन्तिम रिपोर्ट ऐसे निरीक्षण के तीन दिन के भीतर अभिलिखित की जाएगी ।
- (2) जहां किसी प्रवहण पर परिवहन किए जा रहे माल का वास्तविक सत्यापन राज्य के भीतर या किसी अन्य राज्य में एक स्थान पर अभिवहण के दौरान किया गया है, वहां उक्त प्रवहण का और वास्तविक सत्यापन उस राज्य में तब तक दोबार नहीं किया जाएगा, जब तक कर अपवंचन से सम्बन्धित विनिर्दिष्ट जानकारी तत्पश्चात् उपलब्ध नहीं करा दी जाती हैं ।

**“138घ यान को निरूद्ध किए जाने के बारे में सूचना को अपलोड करने की सुविधा –**

जहां कोई यान तीस मिनट से अधिक अवधि के लिए बीच में ही रोक लिया गया है या निरूद्ध कर दिया गया है, वहां परिवाहक सामान्य पोर्टल पर प्ररूप **जीएसटी ईडब्ल्यूबी-04** में उक्त सूचना अपलोड कर सकेगा ।;

**प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01**

(नियम 138 देखें)

**ई-वे बिल**

<b>भाग-क</b>		
क.1	प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईन	
क.2	परिदान का स्थान	
क.3	बीजक या चालान संख्या	
क.4	बीजक या चालान की तारीख	
क.5	माल का मूल्य	
क.6	एचएसएन कोड	
क.7	परिवहन का कारण	
क.8	परिवहन दस्तावेज संख्या	
<b>भाग-ख</b>		
ख.	यान संख्या	

**टिप्पण :**

1. क.6 में एचएसएन कोड पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रुपये तक वार्षिक आवर्त रखने वाले कर दाताओं के लिए न्यूनतम दो अंकीय स्तर और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रुपये से ऊपर का वार्षिक आवर्त रखने वाले करदाताओं के लिए चार अंकीय स्तर पर उपदर्शित किया जाएगा ।
2. परिवहन दस्तावेज संख्या, माल रसीद संख्या या रेल रसीद संख्या या वायु मार्ग बिल संख्या या लदान बिल संख्या को उपदर्शित करता है ।
3. परिदान का स्थान, परिदान के स्थान का पिन कोड उपदर्शित करेगा ।
4. परिवहन का कारण निम्नलिखित में से एक चुना जाएगा :

कोड	वर्णन
1	प्रदाय
2	निर्यात या आयात
3	छुटपुट काम
4	एसकेडी या सीकेडी
5	अज्ञात प्राप्तिकर्ता
6	लाइन सेल्स
7	वापस विक्रय
8	प्रदर्शनी या मेले
9	अपने स्वयं उपयोग के लिए
10	अन्य

**प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-02**  
(नियम 138 देखें)  
**समेकित ई-वे बिल**

ई-वे बिल संख्या	
ई-वे बिल संख्या	

प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-03

(नियम 138ग देखें)

सत्यापन रिपोर्ट

<b>भाग-क</b>	
अधिकारी का नाम	
निरीक्षण का स्थान	
निरीक्षण का समय	
यान संख्या	
ई-वे बिल संख्या	
बीजक या चालान या बिल की तारीख	
बीजक या चालान या बिल की संख्या	
यान के भारसाधक व्यक्ति का नाम	
माल का वर्णन	
माल की घोषित मात्रा	
माल का घोषित मूल्य	
विसंगति का संक्षिप्त वर्णन	
क्या माल निरूद्ध किया गया था ?	
यदि नहीं, तो यान को छोड़ने की तारीख और समय	
<b>भाग-ख</b>	
माल की वास्तविक मात्रा	
माल का वास्तविक मूल्य	
संदेय कर	
एकीकृत कर	
केन्द्रीय कर	
राज्य या संघराज्य क्षेत्र कर	
उपकर	
संदेय शास्ति	
एकीकृत कर	
केन्द्रीय कर	
राज्य या संघराज्य क्षेत्र कर	
उपकर	
सूचना के ब्यौरे	
तारीख	
संख्या	

निष्कर्षों का सार	
-------------------	--

**प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-04**  
(नियम 138घ देखें)

**अवरोधन की रिपोर्ट**

ई-वे बिल संख्या	
अवरोधन की समीपवर्ती स्थान	
अवरोधन की अवधि	
भारसाधक अधिकारी का नाम	(यदि ज्ञात हों)
तारीख	
समय	

**प्ररूप जीएसटी आईएनवी-1**  
(नियम 138क देखें)  
**बीजक निर्देश संख्या का सृजन**

आईआरएन:		तारीख:	
<b>प्रदायकर्ता के ब्यौरे</b>			
जीएसटीआईएन			
विधिक नाम			
व्यवसाय का नाम, यदि कोई हो			
पता			
बीजक का क्रम संख्यांक			
बीजक की तारीख			
	प्राप्तिकर्ता के ब्यौरे (निम्नलिखित को बिल भेजा गया है)	परेषिती के ब्यौरे (निम्नलिखित को भेजा गया है)	
जीएसटीआईएन या			

यूआईएन, यदि उपलब्ध हों		
नाम		
पता		
राज्य (नाम और को)		
प्रदाय का प्रकार -		
	बी से बी तक प्रदाय	
	बी से सी तक प्रदाय	
	प्रतिवर्ति प्रभार लागू होता है	
	टीसीएस लागू होता है	प्रचालक का जीएसटीआईएन
	टीडीएस लागू होता है	टीडीएस प्राधिकारी का जीएसटीआईएन
	निर्यात	
	विशेष आर्थिक जोन को किए गए प्रदाय	
	मानित निर्यात	

क्र. सं.	मालों का वर्णन	एचएस एन	मात्रा	इकाई	मूल्य (प्रति इकाई)	कुल मूल्य	छूट, यदि कोई हो	कराधेय मूल्य	केन्द्रीय कर		राज्य या संघराज्य क्षेत्र कर		एकीकृत कर		उपकर	
									दर	रकम	दर	रकम	दर	रकम	दर	रकम
	भाड़ा															
	बीमा															
	पैकिंग और अग्रेषण प्रभार आदि															
	कुल															
	कुल बीजक मूल्य (अंकों में)															
	कुल बीजक मूल्य (शब्दों में)															

हस्ताक्षर

हस्ताक्षकर्ता का नाम

पदनाम या प्रास्थिति।

(iii) प्ररूप के मूल नियमों में, -

1. 1 जुलाई, 2017 से “प्ररूप जीएसटी ईएनआर-01” के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा और रखा हुआ समझा जाएगा, अर्थात् :-

**“प्ररूप जीएसटी ईएनआर-01**  
(नियम 58(1) देखें)  
**धारा 35(2) के अधीन अभ्यावेष्टन के लिए आवेदन**  
/केवल अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए/

1.	राज्य का नाम	
2.	(क) विधिक नाम	
	(ख) व्यवसाय का नाम, यदि कोई हो	
	(ग) स्थायी लेखा संख्यांक	
	(घ) आधार (केवल स्वत्वधारी समुत्थानों के मामले में लागू)	
3.	अभ्यावेष्टन का प्रकार	
	(i) भांडागार या डिपो	(ii) गोदाम
	(iii) परिवहन सेवाएं	(iv) शीतागार
4.	कारबार का गठन (कृपया सही का चयन करें)	
	(i) स्वत्वधारी या हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब	(ii) भागीदारी
	(iii) कम्पनी	(iv) अन्य
5.	कारबार के प्रधान स्थान की विशिष्टियां	
(क)	पता	
	मकान सं. या फ्लैट सं.	तल सं.
	परिसर या भवन का नाम	मार्ग या गली
	शहर या नगर या मोहल्ला या ग्राम	ताल्लुक या ब्लॉक
	जिला	
	राज्य	पिन कोड
	अक्षांश	देशांतर

(ख)	सम्पर्क सूचना (ई-मेल पता और मोबाइल नं. के अधिप्रमाणन के प्रयोग किए जाएंगे)				
ई-मेल पता		टेलीफोन	एसटीडी		
मोबाइल सं.		फैक्स	एसटीडी		
(ग)	परिसरों का प्रकृति				
स्वामित्वाधीन	पट्टाकृत	किराए पर लिया गया	सहमति	सहभाज्य	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
6.	कारबार के अतिरिक्त स्थान के ब्यौरे - कारबार के अतिरिक्त स्थान (स्थानों), यदि कोई हों, का उल्लेख करें [वैसी ही जानकारी भरें, जैसी कि वह मद 5 [क], [ख] और [ग] में है।				
7.	सहमति				
<p>मैं, &lt;प्ररूप में दिए गए आधार संख्या के आधार पर पूर्व में भरे गए&gt; आधार संख्या के धारक की ओर से अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से अपने ब्यौरे अभिप्राप्त करने के लिए "माल और सेवा कर नेटवर्क" के लिए सहमति देता हूँ। "माल और सेवा कर नेटवर्क" ने मुझे सूचित किया है कि पहचान सम्बन्धी सूचना का प्रयोग केवल आधार धारक की पहचान को विधिमान्य करने के लिए किया जाएगा और अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए ही उसे केन्द्रीय पहचान आंकड़ा संग्रह के साथ साझा किया जाएगा।</p>					
8. अपलोड के लिए दस्तावेजों की सूची (पहचान और पते का सबूत)					
9. सत्यापन					
मैं, सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें से कुछ नहीं छिपाया गया है।					
स्थान:	हस्ताक्षर				
तारीख:	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम				
कार्यालय उपयोग के लिए :					
अभ्यावेशन सं.	तारीख-				

2. 1 जुलाई, 2017 से "प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01" के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा और रखा हुआ समझा जाएगा, अर्थात् :-

**प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01**

(नियम 89(1) देखें)

**प्रतिदाय के लिए आवेदन**

(आकस्मिक/अनिवासी, कराधेय व्यक्ति, कर कटौतीकर्ता, कर संग्रहकर्ता, अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या अन्य अरजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति के लिए लागू)

1	जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी:							
2	विधिक नाम:							
3	व्यवसाय का नाम, यदि कोई हो:							
4	पता:							
5	कर की अवधि: (यदि लागू हो)	<वर्ष><मास>		से		<वर्ष><मास तक		
6	दावाकृत प्रतिदायी की रकम:	अधिनियम	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
		केन्द्रीय कर						
		राज्य/संघराज्य क्षेत्र कर						
		एकीकृत कर						
		उपकर						
		कुल						
7	प्रतिदाय दावे का आधार (ड्रॉप डाउन से चयन करें):	(क)	इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में अतिरिक्त अतिशेष					
		(ख)	सेवाओं का निर्यात - कर के संदाय सहित ;					
		(ग)	माल/सेवाओं का निर्यात - कर के संदाय के बिना, अर्थात् संचित आईटीसी ;					
		(घ)	आदेश के कारण					
		क्र. सं.	आदेश का प्रकार	आदेश सं०	आदेश की तारीख	प्राधिकार जारी करने वाला आदेश	संदाय निर्देश संख्या, यदि कोई हो	
		(i)	निर्धारण					
(ii)	अनंतिम निर्धारण							
(iii)	अपील							

			)				
			(i v)	कोई अन्य आदेश (विनिर्दिष्ट करें)			
		(ड)		धारा 54(3) के परंतुक के खंड (ii) की प्रतिलोमित कर संरचना के कारण संचित आईटीसी			
		(च)		विशेष आर्थिक जोन यूनिट/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता (कर के संदाय सहित) को किए गए प्रदायों के मद्दे			
		(छ)		विशेष आर्थिक जोन यूनिट/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता (कर के संदाय के बिना) को किए गए प्रदायों के मद्दे			
		(ज)		मानित निर्यात का प्राप्तिकर्ता			
		(झ)		ऐसे प्रदाय पर, जिसका या तो पूर्णतया या भागतया उपबंध नहीं किया गया है, संदत्त कर और जिसके लिए बीजक जारी नहीं किया गया है (अग्रिम संदाय पर संदत्त कर)			
		(ञ)		राज्य के भीतर प्रदाय, जो तत्पश्चात् अन्तर्राज्यिक प्रदाय या विपर्ययेन (पीओएस का परिवर्तन) समझा गया है, पर संदत्त कर			
		(ट)		कर, यदि कोई हो, का अतिरिक्त संदाय			
		(ठ)		कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			

8	बैंक खाते के ब्यौरे	बैंक का नाम	शाखा का पता	आईएफएससी	खाते का प्रकार	खाता संख्या
9	क्या स्वघोषणा, धारा 54(4) के अधीन आवेदक द्वारा फाइल की गई है, यदि लागू हो,	हां		नहीं		
		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

**घोषणा [धारा 54(3) का दूसरा परंतुक]**  
मैं घोषणा करता हूं कि निर्यातित माल किसी निर्यात शुल्क के

अध्यधीन नहीं है । मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैंने माल या सेवाओं या दोनों पर किसी वापसी का लाभ नहीं लिया है और मैंने उन प्रदायों, जिनके सम्बन्ध में प्रतिदाय का दावा किया जाता है, पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा नहीं किया है ।

हस्ताक्षर

नाम –

पदनाम / प्रास्थिति

**घोषणा [धारा 54(3)(ii)]**

मैं घोषणा करता हूं कि आवेदन में दावा किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय में शून्य दर निर्धारण करने के लिए या प्रदायों को पूर्णतया छूट प्रदान करने के लिए उपयोग किए गए माल या सेवाओं पर लिया गया निवेश कर प्रत्यय सम्मिलित नहीं है ।

हस्ताक्षर

नाम –

पदनाम या प्रास्थिति

**घोषणा [नियम 89(2)(च)]**

मैं घोषणा करता हूँ कि विशेष आर्थिक जोन यूनिट/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता ने इस प्रतिदाय दावे के अन्तर्गत आने वाले, आवेदक द्वारा संदत्त कर के इनपुट कर प्रत्यय का लाभ नहीं लिया है ।

हस्ताक्षर

नाम –

पदनाम या प्रास्थिति

**घोषणा [नियम 89(2)(छ)]**

**(मानित निर्यात की प्राप्तिकर्ताओं के लिए)**

मैं घोषणा करता हूँ कि प्रतिदाय का केवल उन बीजकों के लिए दावा किया गया है, जिन्हें उस कर के लिए, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है, प्ररूप जीएसटीआर-2 में फाइल किए गए आवक प्रदायों के विवरण में रिपोर्ट किया गया है और रकम उक्त कर अवधि के लिए फाइल की गई वैध विवरणी में लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम से अधिक नहीं है ।

हस्ताक्षर

नाम –

पदनाम या प्रास्थिति

**स्व-घोषणा [नियम 89(2)(ठ)]**

मैं/हम \_\_\_\_\_ (आवेदक) जिनका जीएसटीआईएन/ स्थायी आईडी.....है, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और प्रमाणित करते हैं

कि प्रतिदाय आवेदन  
में.....से.....  
तक अवधि के लिए कर, ब्याज या किसी अन्य रकम के सम्बन्ध  
में.....रुपये के प्रतिदाय के सम्बन्ध में ऐसे कर  
और ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति को संक्रांत नहीं किया गया है ।

(यह घोषणा ऐसे आवेदकों द्वारा प्रस्तुत नहीं की जानी अपेक्षित है जो धारा  
54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड  
(घ) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय का दावा कर रहे हैं।)

10. सत्यापन :

मैं/हम <करदाता का नाम> सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि  
इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के  
अनुसार सत्य और सही है और इसमें से कोई बात नहीं छिपाई गई है ।

हम घोषणा करते हैं कि इस मद्दे कोई प्रतिदाय पूर्व में हमारे द्वारा प्राप्त नहीं  
किया गया है ।

स्थान

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

तारीख

(नाम)

पदनाम/प्रास्थिति



**विवरण- 3 [नियम 89(2)(ख) और 89(2)(ग)]**

प्रतिदाय का प्रकार:

कर संचित आईटीसी के संदाय के बिना निर्यात

(रुपए में)

क्र. सं.	बीजक के ब्यौरे			माल/ सेवाएं (जी/एस)	पोत परिवहन पत्र/ निर्यात का बिल			ईजीएम के ब्यौरे		बीआरसी/एफ आईआरसी	
	सं.	तारीख	मूल्य		पत्तन कोड	सं.	तारीख	निर्देश सं.	तारीख	सं.	तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**विवरण- 3क [नियम 89(4)]**

प्रतिदाय का प्रकार: कर (संचित आईटीसी) के संदाय के बिना निर्यात प्रतिदाय रकम की संगणना

(रुपए में)

माल और सेवाओं के शून्य निर्धारित प्रदाय का आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	समायोजित कुल आवर्त	प्रतिदाय रकम (1×2÷3)
1	2	3	4

**विवरण- 4 [नियम 89(2)(घ) और 89(2)(ड)]**  
**विशेष आर्थिक जोन या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को प्रदाय**

प्रतिदाय का प्रकार:

विशेष आर्थिक जोन यूनिट/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता (कर के संदाय पर) को किए गए प्रदायों के मद्दे

(रुपए में)

प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	बीजक ब्यौरे			पोत परिवहन पत्र/ निर्यात बिल/ विशेष आर्थिक जोन द्वारा पृष्ठांकित बीजक		एकीकृत कर		नामे नोट में अन्तर्वलित एकीकृत कर, यदि कोई हो	जमा पत्र में अन्तर्वलित एकीकृत कर, यदि कोई हो	शुद्ध एकीकृत कर (8+9-10)
	सं.	तारीख	मूल्य	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	रकम			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**विवरण 5**  
**[नियम 89(2)(घ) और 89(2)(ड)]**

विशेष आर्थिक जोन यूनिट/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता (कर के संदाय के बिना) को किए गए प्रदायों के मद्दे

(रुपए में)

क्र.सं.	बीजक के ब्यौरे			माल/ सेवाएं (जी/एस)	पोत परिवहन पत्र/ निर्यात बिल/ विशेष आर्थिक जोन द्वारा पृष्ठांकित बीजक.	
	सं.	तारीख	मूल्य		सं.	तारीख
1	2	3	4	5	6	7

**विवरण-5A [नियम 89(4)]**

प्रतिदाय का प्रकार: विशेष आर्थिक जोन यूनिट/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को कर के संदाय के बिना (संचित आईटीसी) को किए गए प्रदायों के मद्दे-प्रतिदाय रकम की संगणना (रुपए में)

माल और सेवाओं के शून्य निर्धारित प्रदाय का आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	समायोजित कुल आवर्त	प्रतिदाय रकम (1×2÷3)
1	2	3	4

**विवरण-6 [नियम 89(2)(ज)]**

प्रतिदाय का प्रकार: प्रदायों (अन्तर्राज्यीय से राज्य के भीतर और विपर्ययेन) के पीओएस में परिवर्तन के मद्दे आदेश के ब्यौरे (धारा 77(1) और (2) के अनुसरण में जारी), यदि कोई हो: आदेश की संख्या: आदेश की तारीख:

(रुपए में)

जीएसटीआईएन-यूआईएन नाम (यदि बी2सी है)	पूर्वतर राज्य के भीतर/अन्तर्राज्यीय संव्यवहार के रूप में समझे गए संव्यवहार के अन्तर्गत आने वाले बीजकों के ब्यौरे								वह संव्यवहार, जो तत्पश्चात् अन्तर्राज्यीय/राज्य के भीतर प्रदाय समझे गए थे					
	बीजक के ब्यौरे				एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघराज्य क्षेत्र कर	उपकर	प्रदाय का स्थान	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघराज्य क्षेत्र कर	उपकर	प्रदाय का स्थान
	सं.तारीख	मूल्य	कराधेय मूल्य											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

**विवरण 7 [नियम 89(2)(ट)]**

प्रदाय के प्रकार : फाइल की गई अन्तिम विवरणी के मामले में कर का अतिरिक्त संदाय, यदि कोई हो

(रुपए में)

कर की	विवरणी का	विवरणी	कराधेय मूल्य

	अवधि	एआरएन	फाइल करने की तारीख	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघराज्य क्षेत्र कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6	7

## उपाबंध-2

### प्रमाणपत्र [नियम 89(2)(ड)]

प्रमाणित किया जाता है कि <.....> कर अवधि के लिए.....मैसर्स (आवेदक का नाम) जीएसटीआईएन/स्थायी आईडी.....द्वारा दावा किए गए < >.....के प्रतिदाय की बाबत कर और ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति को संक्रांत नहीं किया गया है। यह प्रमाणपत्र आवेदक द्वारा रखे गए/प्रस्तुत लेखा बहियों और अन्य सुसंगत अभिलेखों तथा विवरणियों की विशिष्टियों की परीक्षा पर आधारित है।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट/लागत लेखापाल के हस्ताक्षर

नाम:

सदस्यता संख्या:

स्थान:

तारीख:

यह प्रमाणपत्र अधिनियम की धारा 54 की उप-धारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय का दावा करने वाले आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं है।

## अनुदेश-

1. प्रयुक्त शब्द:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| (क) बी से सी:   | रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को |
| (ख) ईजीएम:      | निर्यात सामान्य माल सूची                         |
| (ग) जीएसटीआईएन: | माल और सेवा कर पहचान संख्या                      |
| (घ) आईजीएसटी:   | एकीकृत माल और सेवा कर                            |
| (ङ) आईटीसी:     | इनपुट कर प्रत्यय                                 |
| (च) पीओएस:      | प्रदाय का स्थान (सम्बन्धित राज्य)                |
| (छ) एसईजेड:     | विशेष आर्थिक जोन                                 |

(ज) अस्थायी आईडी: अस्थायी पहचान संख्या

(झ) यूआईएन: विशिष्ट पहचान संख्या

2. इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में उपलब्ध अतिरिक्त रकम के प्रतिदाय का विवरण के माध्यम से या आवेदन फाइल करके दावा किया जा सकता है ।
3. नामे प्रविष्टि आवेदन फाइल करने के समय इलेक्ट्रॉनिक जमा या नकद खाते में की जाएगी ।
4. प्ररूप जीएसटी आरएफडी-02 में अभिस्वीकृति जारी की जाएगी, यदि आवेदन सभी बाबत पूर्ण पाया जाता है ।
5. आईजीएसटी के संदाय सहित माल के निर्यात पर प्रतिदाय के दावे पर इस आवेदन के माध्यम से प्रक्रिया नहीं की जाएगी ।
6. बैंक खाते के ब्यौरे रजिस्ट्रीकरण आंकड़े के अनुसार होने चाहिए । बैंक ब्यौरों में कोई परिवर्तन आवेदन में कोट करने से पूर्व रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में पहले संशोधित किया जाएगा ।
7. घोषणा मामलों में वहां फाइल की जाएगी, जहां पर ये अपेक्षित हो ।
8. 'शुद्ध निवेश कर प्रत्यय' से विवरण 1 के प्रयोजन के लिए सुसंगत अवधि के दौरान इनपुट पर किए गए इनपुट कर प्रत्यय अभिप्रेत है और इसमें विवरण 3क और 5क के प्रयोजन के लिए भी इनपुट सेवाओं पर आईटीसी सम्मिलित होगी ।
9. 'समायोजित कुल आवर्त' से सुसंगत अवधि के दौरान शून्य मूल्य निर्धारित माल प्रदायों से भिन्न छूट प्राप्त प्रदायों के मूल्य को अपवर्जित करते हुए धारा 2 के खंड (112) के अधीन यथा परिभाषित किसी राज्य या किसी संघराज्य क्षेत्र में आवर्त अभिप्रेत है ।
10. विवरण 1 के प्रयोजन के लिए प्रतिदाय दावा जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2 में रिपोर्ट किए गए प्रदायों पर आधारित होगा ।
11. बीआरसी या एफआईआरसी ब्यौरे वहां अनिवार्य होंगे, जहां प्रतिदाय का पोत परिवहन पत्र सेवा निर्यात के ब्यौरों के प्रति दावा किया जाता है और ईजीएम माल के निर्यात के मामले में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा ।
12. जहां बीजक के ब्यौरों में संशोधन किया जाता है (निर्यात सहित), वहां प्रतिदाय संशोधित मूल्य के आधार पर संगणना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा ।
13. कर के संदाय के बिना किए गए निर्यात के ब्यौरे विवरण 3 में रिपोर्ट किए जाएंगे ।
14. कर के संदाय के बिना विशेष आर्थिक जोन यूनिट या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को किए गए प्रदायों के मामले में दावा किए जाने वाले प्रतिदाय की उपलभ्यता को नियम 89(4) में विहित फॉर्मूला के अनुसार परिकलित किया जाएगा ।
15. 'माल और सेवाओं के शून्य मूल्य निर्धारित प्रदाय का आवर्त' का वही अर्थ होगा जो उसका नियम 89(4) में परिभाषित है ।

3. 1 जुलाई, 2017 से "प्ररूप जीएसटी टीआरएन-2" में,-

- (क) क्रम संख्यांक 4 में, "नियुक्ति की तारीख" शब्दों के स्थान पर "नियत तारीख" शब्द रखे जाएंगे और रखे हुए समझे जाएंगे ;
- (ख) क्रम संख्यांक 5 में, "पर प्रत्यय" शब्दों के स्थान पर "का प्रत्यय" शब्द रखे जाएंगे और रखे हुए समझे जाएंगे ।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी]

(डॉ श्रीपार्वती एस.एल.)  
अवर सचिव, भारत सरकार

**टिप्पण :-** मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड (3), उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या 3/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा, और सा.का.नि. संख्या 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा उनमें अन्तिम बार सा.का.नि. संख्या 1023(अ), तारीख 17 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या अधिसूचना संख्या 22/2017 केन्द्रीय कर, तारीख 17 अगस्त, 2017 द्वारा संशोधन किया गया था ।